प्रेस विज्ञप्तिः-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0 कक्ष संख्या–1 सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगणों को 20 वर्ष कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 08.07.17 को वादिया कु0 वंशिका पुत्री उमेश त्यागी नि0 जडौदापाण्डा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर को अभियुक्त 1–अनिल उर्फ छोटू पुत्र प्रकाशचंद नि0 जडौदापाण्डा थाना बडगांव स0पुर 2–अनुज प्रताप त्यागी पुत्र राजकुमार नि0 फलोदा थाना पुरकाजी जनपद मु0नगर एवं 3–राजीव कुमार पुत्र सत्य प्रकाश नि0 जडौदापाण्डा थाना बडगांव स0पुर के द्वारा डरा धमका कर बारी–बारी से बलात्कार करना व जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर मु0अ0स0 118/2017 धारा 376डी,506 भादवि में थाना बडगांव पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 253/2018 पर माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0 कक्ष सं0–01 स0पुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने स्तर से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0 कक्ष सं0–01 स0पुर द्वारा आज दिनांक 06.01.2021 को अभियुक्त अनिल उर्फ छोटू पुत्र प्रकाशचंद व अनुज प्रताप त्यागी पुत्र राजकुमार को मु0अ0स0 118/2017 धारा 376डी,506 भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अभियुक्त राजीव कुमार पुत्र सत्य प्रकाश को दोषमुक्त किया गया।